न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—39/2017 (2017/00109) वाद पत्र

अनवान

1. लादुलाल पिता हजारी कुमावत निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मेता पुत्री हजारी कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. पारसी पुत्री हजारी कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. छगु पत्नि हजारी कुमावत निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. बालु पिता सरीराम कुमावत निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रामा पिता किशना कुमावत निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. सुनील बापना — अधिवक्ता वादीगण
2. मुकेश चौधरी — अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 12.08.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 18.03.2021 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम बोराणा पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर की सरहद में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1338 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 1342 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 3065 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 3072 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 3073 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 3074 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 3075 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 3076 रकबा 0.33 है0, आराजी संख्या 3077 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या 3079 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 3082 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 3083 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 3084 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 3087 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 3094 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 3096 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 3148 रकबा 0.29 है0, आराजी संख्या 3149 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 3175 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 3176 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 3187 रकबा 0.01 है0, [illegible] 0.02 है0, आराजी संख्या 3190 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 3191 रकबा [illegible] है0, आराजी संख्या 3193 रकबा 0.44 है0, आराजी संख्या 3754 रकबा 0.90 है0, आराजी संख्या 3826 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 3827 रकबा 0.06 है0, आराजी [illegible] है0, आराजी संख्या 3829 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 3867 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 3868 [illegible] 0.25 है0 कुल किता 32 कुल रकबा 5.50 है0 भूमि में आराजी संख्या 3075 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 3083 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 3175 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 3826

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.08.16 12:19:33 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 3828 रकबा 0.01 है0 को शामलाती रखते हुए शेष आरायिजात में वादीगण का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्से का कब्जे को मध्यनजर रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन करवा रेवेन्यु रेकार्ड मे अलग राजस्व खाता खोले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एव तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 07.07.2021 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और उभयपक्ष अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादीगण अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति की गई जो शामिल पत्रावली है।

वादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति की गई कि प्रकरण में प्रस्तुत बटवाड़े में आराजी संख्या 3826 रकबा 0.01 है0, 3827 रकबा 0.06 है0, 3829 रकबा 0.13 है0, 3191 रकबा 0.15 है0, 3193 रकबा 0.44 है0 जो मौके की जमीन होकर मुख्य सड़क से लगी हुई है जिसमें से वादीगण का 1/4 हक व हिस्सा है लेकिन बंटवाड़े प्रस्ताव में उक्त वर्णित आराजियात में वादीगण को कुछ भी हक व हिस्सा नही दिया गया है व किमती जमीन प्रतिवादीगण के रख दी जो गलत है जिससे वादीगण को बंटवाड़ा प्रस्ताव मंजुर नही है। आराजी संख्या 3190/2 में पीछे जाने का कोई रास्ता नही दिया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि आपत्ति पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं उक्त वर्णित आराजियात मे भी वादीगण को 1/4 हक व हिस्सा दिलाया जावे एवं नये सिरे से बंटवाड़ा मंगवाने हेतु तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब में अंकन किया कि बंटवारा प्रस्ताव में वर्णित आराजी संख्या 3826 रकबा 0.01 है0, 3827 रकबा 0.06 है0, 3829 रकबा 0.13 है0, 3191 रकबा 0.15 है0 भूमि का रकबा छोटा–छोटा है जिसके टुकड़े नही किये जा सकते है और भूमि के छोटे छोटे टुकड़े किये जाते है तो उसमें प्रतिवादीगण काश्त नही कर पायेंगे इसके अलावा भी उक्त आराजियात पूर्व में पारिवारीक विभाजन में उक्त आराजियात पर कब्जा प्रतिवादी रामा का ही है तथा न्यायालय के आदेशानुसार जो बटवारा प्रस्ताव मौतबीरो की उपस्थिति में बनाया गया है व पूर्व के विभाजन की ताईद करता है कि उक्त आराजियात पर कई वर्षो से कब्जा प्रतिवादी रामा की ही है। प्रतिवादी रामा ने उक्त आराजियात पर लाखो रूपये लगाकर कृषि योग्य बनाया है उसमें मिट्टी भराई, फसलो की सुरक्षा के लिये चारदीवारी बनाई, पशुओं को रखने के लिये उसमें टीन शेड बना रखे है जिसे वादी हड़प[illegible] रामा ने उक्त भूमि पर लाखों रूपये का निमार्ण कार्य करा रखा है जिसका बंटवारा [illegible] में [illegible] चुका है सिर्फ जमाबन्दी में ही विभाजन कराना शेष था। फिर भी मौके [illegible] आराजि[illegible] का डबल विभाजन किया जाता है तो हमेशा लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो [illegible] उत्पन्न हो जायेंगे इसी मंशा से ही वादीगण ने वाद पेश किया है। वादीगण को जहां [illegible] था उसको वहां पर बंटवारे की भूमि प्रापत हो चुकी है और हिस्से से भी 1 ऐयर जमीन अधिक विभाजन में वादीगण के हिससे में रखी गई है। विभाजन विवादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि बेशकिमती हैं वादीगण प्रतिवादीगण की उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.08.16 12:19:33 IST
Reason: SelfAttested

भूमि को हड़पना चाहता है वह कतई सम्भव नही है प्रतिवादीगण की ओर से किये गये निमार्ण कार्य के फोटो ग्राप्स साथ संलग्न है तथा वादीगण के हिस्से में रखी गई आराजी संख्या 3190/2 में आने जाने के लिये वादीगण को रास्ता दिया गया है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि वादीगण की ओर से प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाई जावे।

आपत्ति पर दोनो अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई।

वादीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि आराजी संख्या 3826, 3827, 3829, 3191/3193 नम्बर सड़क के पास है और बाड़े की जमीन है जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा है और वादी को हिस्सा नही दिया गया है। बटवाड़ा पहले हो चुका है इसकी कोई लिखा पढ़ी नही है। प्रतिवादी का यह कथन झुठा है और प्रतिवादी द्वारा जवाब के साथ जो फोटो प्रस्तुत किये गये है उस फोटो में नाम लिखने से भूमि उसकी नही हो जाती है। प्रतिवादी के द्वारा जवाब दावे में जमीन पर खर्च करने का कोई अंकन किया है सभी निमार्ण पुराने समय से है अगर प्रतिवादी के द्वारा कोई निमार्ण तो उसके बिल पेश करने चाहिये जो इस पत्रावली में पेश नही किये है। तनकी नम्बर 3 प्रतिवादी के जिम्मे थी वो साबित नही करा सारे नम्बर प्रतिवादी को दिये इसलिये वादीगण की ओर से फर्द बंटवाड़े पर हस्ताक्षर नही किये। ऐसी स्थिति में आपत्ति स्वीकार करते हुए चारो नम्बरो मे भी वादीगण को हिस्सा दिलाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता की ओर से बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादग्रस्त आराजियात ग्राम बोराणा में स्थित जो किसी न किसी सड़क व रास्ते से लगती हुई है। मुख्य सड़क से उक्त खसरा नम्बर लगे है। मुख्य सड़क पर होने का फोटो पत्रावली में उपलब्ध नही किया है। विभाजन प्रस्ताव बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर एवं कब्जे को मध्यनजर रखते हुए न्यायालय आदेश की पालना मे तहसीलदार रायपुर द्वारा वादीगण की उपस्थिति मे तैयार कर पेश किया गया है। प्रतिवादी रामा व बालु की गवाह में वादीगण अधिवक्ता की जिरह में बंटवाडा बाप दादा के समय से होना स्वीकार किया मात्र जमाबन्दी मे ही बंटवाड़े का अंकन होना शेष जो इस प्रकरण के माध्यम से कराये जा रहे है। प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादी के हिस्से में आयी भूमि को काफी खर्चा कर आबाद किया टिन शेड लगा रखे है खेतो में मिट्टी भराई और कुछ कमरो का निमार्ण किया। ऐसी स्थिति में पूर्व मे हुए विभाजन को स्वीकार करते हुए वादीगण द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर की आपत्ति को निरस्त फरमावे।

मैने प्रकरण में प्रस्तुत आपत्ति पत्र व जवाब एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में उभयपक्ष अधिवक्ताओ की सहमति से कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा किया जाने हेतु न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार रायपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव उभयपक्ष की उपस्थिति में तैयार कर पेश किया गया। वादीगण अधिवक्ता द्वारा आपत्ति में यह तथ्य अकिंत किये गये है कि भूमि सड़क के पास है और आराजी संख्या 3826, 3827, 3829, 3191, 3193 भूमि सड़क के पास होने से वादीगण को 1/4 हिस्सा दिया जावे। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव या दावा एवं जवाब दावे में सड़क के पास होना या वादीगण द्वारा इन आराजियात में स्पेशियल कब्जा होना अकिंत नही कर दावे के कॉलम संख्या 3 में आराजी संख्या 3826 एवं 3828 को शामलाती रखने का कथन किया है जबकि उक्त दोनो पर कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.08.16 12:19:33 IST
Reason: SelfAttested

संयुक्त रूप से नही होकर विभाजन प्रस्ताव में प्रतिवादी रामा पिता किशना कुमावत का कब्जा होने से श्री रामा के हिस्से में उक्त नम्बर रखे गये है। इसके अलावा वादीगण का जिन जिन खसरा नम्बरो पर कब्जा था उन खसरा नम्बरान को वादीगण के हिस्से में मानते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसमें वादीगण का कब्जा हिस्से अनुसार पाया गया और यहां तक 1 ऐयर जमीन वादीगण के हिस्से में ज्यादा रखी गई है। विभाजन प्रस्ताव वादीगण एवं प्रतिवादी 1 व 2 की उपस्थिति में तैयार किया गया जिसमें प्रतिवादी 1 भी आराजी संख्या 3826, 3827, 3829 पर प्रतिवादी संख्या 2 कब्जा मानते हुए हस्ताक्षर किये है और आराजी संख्या 3191 एवं 3193 मौके की स्थिति अनुसार प्रतिवादी 1 एवं 2 के कब्जे अनुसार उनके हिस्से में मानते हुए शेष रकबे को आराजी संख्या 3191/2 रास्ते के रूप में शामलाती खाते में रखी गई जो मौका स्थिति अनुसार है वादीगण द्वारा आपत्ति में यह अकिंत किया कि आराजी संख्या 3190/2 जो वादीगण के हिस्से में भूमि आयी उसमें जाने हेतु कोई रास्ता नही दिया गया है जबकि आराजी संख्या 3190/1 एवं 3190/2 में जाने हेतु आराजी संख्या 3191 में प्रस्तावित आराजी 3191/2 रकबा 0.01 है0 भूमि को रास्ते के रूप मे ही सयुंक्त खातेदारी में रखी गई जिसे आराजी संख्या 3190 में प्रवेश किया जा सकता है। इसके साथ ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन काफी वर्षो पहले ही हो जाना प्रतिवादी सख्यां 2 के बयान से प्रमाणित है। वादीगण का आराजी संख्या 3826, 3827, 3829, 3191, 3193 में कब्जा नही है उक्त खसरा नम्बरान का कुल रकबा 0.79 है0 बनता है इन नम्बरो मे से वादीगण को 1/4 हिस्सा दिया जाता है तो वादीगण के हिस्से में करीबन 0.19 है0 जमीन ज्यादा हो जाती है और प्रतिवादीगणो के कम हो जाती है जबकि वादीगण का कब्जा इन नम्बरो के अलावा जहां पर है उतना ही रकबा हिस्से अनुसार आता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में पक्षकारो के मध्य विभाजन पूर्व मे ही हो जाना एवं उसी विभाजन अनुसार मौके पर कब्जा होना यह स्पष्ट प्रमाणित करता है कि उक्त विभाजन वादीगण के पिता की मौजुदगी में और तत्कालीन खातेदारो की सहमति से हुआ है। वादीगण द्वारा जो आपत्ति प्रस्तुत की को स्वीकर करने में कब्जा प्रभावित होता है तथा प्रतिवादीगणो द्वारा कुछ निमार्ण भी किया हुआ है जिससे आगे भी कनूनी पेचिदगीया बढ़ती है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में दिनांक 15.07.2021 को की गई आपत्ति निरस्त करते हुए इस न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.03.2021 की पालना में तहसीलदार रायपुर द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इसी अनुसार प्रकरण में अन्तिम डिकी जारी की जाना उचित है।

आदेश

अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिकी वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 3065 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 3074 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 3079 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 3077/2 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 3094/1 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 3096 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 3190/2 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 3754 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 3868/2 रकबा 0.13 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 1.27 है0 भूमि लादुलाल पिता हजारी 1/4 पारसी पुत्री हजारी 1/4 मेता पुत्री हजारी 1/4 छगु पत्नि हजारी 1/4 सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 3084/2 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 3148 रकबा 0.29 है0, आराजी संख्या 3175 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 3176 रकबा 0.17 है0, आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.08.16 12:19:33 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 3193/1 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 3191/3 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 3754/3 रकबा 0.30 है0, आराजी संख्या 3868/1 रकबा 0.12 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.26 है0 भूमि बालु पिता सरीराम कुमावत एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 3073 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 3076 रकबा 0.33 है0, आराजी संख्या 3077/1 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 3084/1 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 3087 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 3094/2 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 3149 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 3187 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 3189 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 3193/2 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 3190/1 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 3191/1 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 3826 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 3827 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 3828 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 3829 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 3754/4 रकबा 0.44 है0, आराजी संख्या 3867 रकबा 0.21 है0, कुल किता 18 कुल रकबा 2.52 है0 भूमि रामा पिता किशना कुमावत सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 1338 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 1342 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 3072 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 3075 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 3082 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 3083 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 3191/2 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 3754/2 रकबा 0.02 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 0.45 है0 भूमि शामलाती एवं रहन बदस्तुर जमाबन्दी रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.08.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.08.16 12:19:33 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–39/2017 (2017/00109) वाद पत्र

अनवान

1. लादुलाल पिता हजारी कुमावत निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मेता पुत्री हजारी कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. पारसी पुत्री हजारी कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. छगु पत्नि हजारी कुमावत निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. बालु पिता सरीराम कुमावत निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रामा पिता किशना कुमावत निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिकी वादीगण के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 3065 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 3074 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 3079 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 3077/2 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 3094/1 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 3096 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 3190/2 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 3754/1 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 3868/2 रकबा 0.13 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 1.27 है0 भूमि लादुलाल पिता हजारी 1/4 पारसी पुत्री हजारी 1/4 मेता पुत्री हजारी 1/4 छगु पत्नि हजारी 1/4 सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 3084/2 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 3148 रकबा 0.29 है0, आराजी संख्या 3175 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 3176 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 3193/1 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 3191/3 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 3754/3 रकबा 0.30 है0, आराजी संख्या 3868/1 रकबा 0.12 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.26 है0 भूमि बालु पिता सरीराम कुमावत सा. देह एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 3073 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 3076 रकबा 0.33 है0, आराजी संख्या 3077/1 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 3084/1 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 3087 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 3094/2 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 3149 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 3187 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 3189 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 3193/2 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 3190/1 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 3191/1 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 3826 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 3827 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 3828 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 3829 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 3754/4 रकबा 0.44 है0, आराजी संख्या 3867 रकबा 0.21 है0, कुल किता 18 कुल रकबा 2.52 है0 भूमि रामा पिता किशना कुमावत सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 1338 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 1342 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 3072 रकबा 0.08 है0, [illegible] संख्या 3075 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 3082 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 3083 [illegible] है0, आराजी संख्या 3191/2 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 3754/2 रकबा 0.02 है0, कुल [illegible] 8 [illegible] रकबा 0.45 है0 भूमि शामलाती एवं रहन बदस्तुर जमाबन्दी रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में अन्तिम डिकी आज [illegible] मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.08.16 12:19:33 IST
Reason: SelfAttested

12-8-2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा